न्यायालय कलक्टर जिला एवं मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी — **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
35/प्रार्थना पत्र/20

तारीख निर्णय
23.06.2020

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र,
मुख्य कार्यालय, "लोकमंगल", 1501, शिवाजी नगर,
पुणे एवं शाखा कार्यालय प्लॉट नं.6, न्यू मोटर मार्केट,
झालावाड़ रोड, कोटा (राज.) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी।

— प्रार्थी

बनाम

शिव शक्ति फूड ग्रेन्स,
पता—जे 51(बी) एण्ड जे 51(सी), रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया,
हट्टीपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी जर्ये प्रोपराईटर
श्री सुनीत कुमारा खुराना पुत्र श्री सुरेन्द्र खुराना,
निवासी 1—ए—12, जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बून्दी (राजस्थान) 323001 **(ऋणी व बंधककर्ता)**

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से श्री अजीत कुमार जोशी, एडवोकेट।
अप्रार्थी अनुपस्थित।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

आदेश

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अप्रार्थी शिव शक्ति फूड ग्रेन्स के दोनों खातों में दिनांक 08.05.2019 तक कुल बकाया ऋण राशि मय ब्याज 83,17,361/– रूपये (अक्षरे तियासी लाख सत्तहर हजार तीन सौ इकसठ रूपये) एवं तत्पश्चात् ब्याज आदि की वसूली के कम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति की आवासीय सम्पत्ति, जे–51(बी) एण्ड जे–51(सी), रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, **हट्टीपुरा**, तहसील एवं जिला बून्दी (राजस्थान) पर स्थित है, जिसका माप लगभग 500 वर्ग मीटर है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, को बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेनें के लिए सहयोग हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी का अवलोकन किया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 के तहत कार्य करती है। जिसका कार्यक्षेत्र ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा जरिये डीड ऑफ हाईपोथिकेशन फॉर आल फेसिलिटी के तहत दिया गया टर्म लोन अप्रार्थी के विरूद्ध बकाया है, जो प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट,2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है। प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 13(2) के तहत दिनांक 08.05.2019 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया एवं उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। सरफेसी एक्ट,2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना उचित है।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी (जिला बून्दी) को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बंधकस्वरूप सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य कार्यालय, "लोकमंगल", 1501, शिवाजी नगर, पुणे एवं शाखा कार्यालय प्लॉट नं.6, न्यू मोटर मार्केट, झालावाड़ रोड, कोटा (राजस्थान) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी को दिलाने के लिए उसके चाहे जाने पर नियमानुसार आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावें एवं आवश्यक हो तो पुलिस अधीक्षक, बून्दी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सन्बन्धित थानाधिकारी को आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु निर्देश प्रदान करे। पत्रावली फैसले होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,बून्दी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.30 10:16:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: